9. **अलंकरण समारोह :—** पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित राज्य के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित नृत्य दल/संस्था प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित नृत्य दल अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त नृत्य दल को पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी तथा ऐसे मामलों के निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग को प्राप्त होंगे जिनका कि इन नियमों में उल्लेख नहीं है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-3/2021/30/सं.— राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/आर्थिक सहायता हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.—**
   (1) ये नियम "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, 2021" कहलायेंगे.

   (2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**
   (1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
   (2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
   (3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
   (4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व.
   (5) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व.
   (6) "समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति.
   (7) "लोक कलाकार" से अभिप्रेत है नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला.

3. **उद्देश्य.—**
   (1) राज्य के लोक कलाकारों/दलों को प्रोत्साहित करना.

   (2) प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत योगदान देने वाले कलाकारों को यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

   (3) लोक कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाना.

4. **आवेदन की प्रक्रिया.—**
   (1) विभागान्तर्गत समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट www.cgculture.in के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी.

   (2) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

5. **पात्रता/निर्धारण.—**

(1) चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य.

(2) विधा एवं प्रोत्साहन राशि निर्धारण —

क्रमांक (1)	प्रोत्साहन का प्रकार (2)	वार्षिक प्रोत्साहन राशि (3)	पात्रता (4)
1.	नृत्य -संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार.	24000/-	अधिकतम 30 कलाकार/दल को कला के संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा.
2.	वाद्ययंत्र वादक	18000/-	अधिकतम 25 कलाकार/दल को कला के संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा.
3.	शिल्प कलाकार	15000/-	अधिकतम 20 कलाकार को कला के संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा.
4.	छत्तीसगढ़ पाक कला (छत्तीसगढ़ी व्यंजन)	12000/-	अधिकतम 15 कलाकार/दल को कला के संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा.
5.	छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला (श्रृंगार)	12000/-	अधिकतम 10 कलाकार को कला के संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा.

(3) लाभांवित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय राशि रुपये 96,000/- से अधिक न हो.

(4) चयनित कलाकारों/दलों को वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 2 वर्षों के लिए अपात्र होंगे.

(5) प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा.

6. **चयन समिति.—** कलाकारों/कला दलों के पंजीयन हेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण/पुष्टि एवं चयन हेतु चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे :—

क्र. (1)	विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य (2)	संख्या (3)
1.	संचालनालय के आयुक्त/संचालक (अध्यक्ष)	01 - शासकीय अध्यक्ष
2.	संचालनालय स्तर पर (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	02 - शासकीय सदस्य
3.	खैरागढ़ के कुलपति, मनोनित कमलादेवी संगीत महाविद्यालय या श्रीराम संगीत महाविद्यालय या दूरदर्शन या आकाशवाणी के A++ ग्रेड के सदस्य/कलाकार.	01 - अशासकीय सदस्य 01 - अशासकीय सदस्य

समिति की बैठक 03 माह के अन्तराल में सम्पन्न की जा सकेगी, जिसमें उस अवधि तक पंजीयन पोर्टल में अपलोड दस्तावेजों पर विचार कर पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी. समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा. कलाकारों/दलों को ईमेल/मैसेज द्वारा पंजीयन की जानकारी एवं विभागीय वेबसाईड www.cgculture.in/chinhariportal में दर्शायी जाएगी.

7. **प्रशासनिक विभाग/नोडल ऐजेंसी.—**

(1) इस योजना का प्रशासनिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन का संस्कृति विभाग होगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल ऐजेंसी संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर होगी.

(2) किसी भी व्याख्या संबंधी विवाद अथवा अन्य विवाद पर संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम होगा.

(3) यह योजना एक सहायता के रूप में है, इसके संबंध में कोई अपील अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा.

8. **नियमों में संशोधन.—** यदि इन नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 23 जुलाई 2021

क्रमांक 976/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	थानखम्हरिया	पद्मी प.ह.नं. 17	0.30	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व साजा.	सिरवाबांधा जलाशय नहर (निर्मित) में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.